

# म.प्र. राज्य बांस मिशन

खेल परिसर 74 बंगला, भोपाल (मध्यप्रदेश)

(Email-mpbamboomission@mp.gov.in, Phone: 0755-2555524, 20; 0755-2674341, Fax-0755-2555523)

## विभागीय मैनुअल

- (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की कण्डिका 4(1)(b) के अंतर्गत जानकारी)

### मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन की नियमावली

1. **समिति का नाम :** समिति का नाम मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन होगा, जो समिति से आगे उल्लेखित किया जायेगा।
2. **पंजीकृत कार्यालय :** समिति का पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल सतपुड़ा भवन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में रहेगा।
3. **कार्यक्षेत्र :** समिति का कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा।
1. **उद्देश्य :** समिति एक प्रधान संस्था के रूप में रहेगी जो राष्ट्रीय बांस मिशन की गतिविधियों को संचालित करने के साथ-साथ शासन की बांस आधारित अन्य परियोजनाओं का संचालन करेगी। इस हेतु समिति के निम्न मुख्य उद्देश्य रहेंगे :-
  - (क) राष्ट्रीय बांस मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य स्तरीय प्रास्पेक्टिव योजना तथा वार्षिक योजनाओं को तैयार करना।
  - (ख) राष्ट्रीय बांस मिशन प्राधिकरण राज्य शासन तथा अन्य स्त्रोंतो से मिशन की गतिविधियों के संचालन हेतु राशि प्राप्त करना।
  - (ग) क्रियान्वित संस्थाओं/कार्यालयों को राशि जारी करना तथा उनके द्वारा किये जाने वाले परियोजनाओं की समीक्षा तथा अनुश्रवण करना।
  - (घ) समिति का लेखा संधारित करना तथा संबंधित संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना।
  - (ङ) प्रदेश में बांस उत्पादन का स्तर, उत्पादन क्षमता, मॉग तथा अन्य आवश्यक आधारभूत जानकारियों एकत्र करना तथा इससे संबंधित प्रदेश में सहायता अध्ययन कराना।
  - (च) बांस उत्पादन, बांस आधारित उत्पादों के निर्माण तथा इस क्षेत्र में उच्च तकनीकी मशीनीकृत कार्यशैली के मामले में अनुसंधान व विकास कार्य करना।
  - (छ) व्यापारिक तथा आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त बांस की ऐसी नयी प्रजातियों का विकास करना जो बांस आधारित उत्पादों के लिए उपयोगी हो।
  - (ज) बांस की गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से बांस कटाई पूर्व तथा कटाई बाद की कार्यविधियों का विकास करना तथा बांस को लंबे समय तक गुणवत्ता पूर्ण बनाये रखने के लिए कार्य करना।
  - (झ) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्तर के बांस उत्पादों की श्रंखला विकसित करना।
  - (ञ) परम्परागत तथा गैर परम्परागत बांस आधारित शिल्पियों को कौशल उन्नयन करना, उन्हे प्रोत्साहित तथा सुविधा संपन्न बनाना, इसी के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण बांस की मांग में निरंतरता बनाए रखना तथा आधुनिक तकनीक उपकरणों को उपलब्ध कराना।
  - (ट) प्रदेश के प्राकृतिक वन क्षेत्रों में बांस वनों का सघन प्रबंधन करना।
  - (ठ) प्रदेश के वन तथा गैर वन क्षेत्रों में शीघ्र बढ़ने वाली बांस प्रजातियों को वृक्षारोपण कर बांस उत्पादन को बढ़ाना।
  - (ड) प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में किसानों को बांस खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - (ढ) प्रदेश में बांस की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण कर जैव विविधता का संरक्षण करना।

- (ण) बांस रोपण के लिए आवश्यक बांस पौध की मांग में निरंतरता बनाए रखना।
- (त) प्रदेश में बांस की घरेलू मांग के अनुरूप आपूर्ति बनाये रखना।
- (थ) बांस के विपणन की विधियाँ विकसित करना।
- (द) राज्य बांस मिशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए बांस से जुड़े विभिन्न समूहों के लिए प्रशिक्षण, कार्यशाला तथा सेमीनार आयोजित कराना।

2. **प्रारंभ तिथि :-** समिति की नियमावली म0प्र0 समितियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत समिति के पंजीयन से लागू मानी जायेगी।

3. **परिभाषाएं :-**

- (क) "अधिनियम" से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश सोसाईटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (वर्ष 1973 का क्र. 44)
- (ख) "बांस एवं बांस शिल्प में विकास बोर्ड" से तात्पर्य है कि समिति नियम 7 (ग), 11 तथा 21 में परिभाषित बोर्ड
- (ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य समिति नियम 9 (क) में परिभाषित समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष से है।
- (घ) "बोर्ड अध्यक्ष" से तात्पर्य समिति नियम 11 में परिभाषित बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड के लिए राज्य शासन द्वारा नामांकित बोर्ड अध्यक्ष से है।
- (ङ) "कार्यकारी अध्यक्ष" से तात्पर्य समिति नियम 10 (क) के तहत परिभाषित कार्यकारी अध्यक्ष से है।
- (च) "वनमंडल अधिकारी" से तात्पर्य राज्य शासन द्वारा पदस्थ क्षेत्रीय वनमंडलों में पदस्थ वनमंडलाधिकारियों से है।
- (छ) "कार्यकारी समिति" से तात्पर्य समिति नियम 10 के तहत गठित कार्यकारी समिति से है।
- (ज) "वन विकास अभिकरण" से तात्पर्य प्रदेश के क्षेत्रीय वनमंडलों में सोसाईटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित वन विकास अभिकरण से है।
- (झ) "साधारणसभा" से तात्पर्य समिति नियम 9 में गठित समिति की साधारण सभा से है।
- (ञ) "ग्रामसभा" से तात्पर्य मध्यप्रदेश ग्राम स्वराज एवं पंचायत अधिनियम 2000 में परिभाषित संस्था से है।
- (ट) "संयुक्त वन प्रबंधन समितियों" से तात्पर्य राष्ट्रीय वन नीति के तहत मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा जारी किये गये संकल्प के अंतर्गत परिभाषित समस्त प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों से है।
- (ठ) "सदस्य" से तात्पर्य समिति के सदस्य से है।
- (ड) "सदस्य सचिव" से तात्पर्य समिति नियम 9 (घ), 10 (ग), 11 (ख) तथा 20 के तहत परिभाषित मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन के मिशन निदेशक से है।
- (ढ) "नियम" से तात्पर्य मध्यप्रदेश सोसाईटीज रजिस्ट्रीकरण नियम 1988 के तहत बनाये नियमों से है।
- (ण) "एस.एल.बी.एस.सी." से तात्पर्य समिति के नियम 2 में परिभाषित राज्य स्तरीय बांस संचालन समिति से है।
- (त) "उपाध्यक्ष" से तात्पर्य समिति नियम 9 (ख) के तहत परिभाषित समिति के साधारण सभा के अध्यक्ष से है।

4. **संरचना :** समिति के अंतर्गत निम्न संस्थाएं रहेगी :-

- (क) साधारण सभा
- (ख) कार्यकारी समिति
- (ग) बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड
- (घ) साधारण सभा द्वारा गठित अन्य कोई संस्था।

5. **सदस्यता, सदस्यता अवधि तथा सदस्यता हेतु अयोग्यता इत्यादि-**

समिति के सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता अवधि तथा सदस्यता हेतु अयोग्यताएं निम्नवत होंगी:-

- (क) समिति में दो प्रकार की सदस्यता रहेगी जो राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य एवं राज्य शासन के अधिकारियों की पदेन सदस्यता के रूप में रहेगी।
- (ख) नामांकित सदस्यों का त्यागपत्र अथवा पदस्थापना राज्य शासन द्वारा स्वीकार अथवा आदेशित की जायेगी।
- (ग) सदस्यों का सदस्यता शुल्क नहीं होगा।
- (घ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा साधारण सभा के पदेन सदस्य एवं सदस्य सचिव की तब तक समिति के सदस्यता रहेंगी जब तक वे इस हेतु निर्धारित पदों पर पदस्थ हैं। जब ये अपने निर्धारित पदों पर नहीं रहेंगे तब इनकी समिति की सदस्यता भी नहीं रहेगी। इस हेतु निर्धारित पदों पर नवागत पदाधिकारियों की समिति सदस्यता उसी दिन से मानी जायेगी जिस दिन से वे अपने निर्धारित पद का पदभार ग्रहण करेंगे।
- (ङ) साधारण सभा के सदस्य द्वारा धारित पद के समाप्त हो जाने अथवा पदनाम बदल जाने अथवा ऐसा संदेह होने पर कि अमुक व्यक्ति निर्धारित पद पर पदस्थ है अथवा नहीं के संबंध में राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समिति को दिये गये आदेश के तहत निर्धारित पद अथवा नये पदनाम पर पदस्थ व्यक्ति अथवा अन्य पदासीन व्यक्ति को ही अंतिम रूप से समिति सदस्य माना जायेगा।
- (च) समिति में नामांकित सदस्य की सदस्यता राज्य शासन की इच्छा पर तथा साधारणतयः दो वर्ष की अवधि तक रहेगी।
- (छ) समिति की साधारण सभा का सदस्य त्याग पत्र देने तथा स्वीकार किये जाने अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त होने अथवा किसी नैतिक अधमता या अपराधिक मामलों के कारण सजायाफ्ता होने अथवा दीवालिया हो जाने की स्थिति समिति का में सदस्य नहीं रहेगा।
- (ज) समिति की साधारण सभा का सदस्य समिति के सदस्य सचिव को अपना त्याग पत्र देगा तथा राज्य शासन द्वारा त्यागपत्र स्वीकार्य किये जाने तक साधारण सभा का सदस्य बना रहेगा।
- (झ) राज्य शासन द्वारा साधारण सभा में नामांकित सदस्यों के समय से पूर्व त्यागपत्र देने अथवा अन्य रूप में रिक्त हुए पद को पुनः उस अवधि के लिए जो पूर्व सदस्य की निर्धारित पदावधि में शेष रह गयी है अन्य नामांकित सदस्य से भरा जायेगा।

6. **समिति की साधारण सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी रहेंगे :-**

- (क) अध्यक्ष- मध्यप्रदेश शासन के वनमंत्री होंगे
- (ख) उपाध्यक्ष-बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।
- (ग) पदेन सदस्य निम्न रहेंगे :-
  - (i) प्रमुख सचिव, वन विभाग मध्यप्रदेश शासन
  - (ii) प्रमुख सचिव, अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन अथवा उनका प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम न हो

- (iii) प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम न हो
  - (iv) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम न हो
  - (v) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम न हो
  - (vi) प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग मध्यप्रदेश भोपाल
  - (vii) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम
  - (viii) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ
  - (ix) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) मध्यप्रदेश भोपाल
  - (x) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार) मध्यप्रदेश भोपाल
  - (xi) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश भोपाल
  - (xii) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन) मध्यप्रदेश भोपाल
  - (xiii) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु उद्योग निगम
  - (xiv) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
  - (xv) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम
  - (घ) सदस्य सचिव, मिशन संचालक मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन
  - (ङ.) समिति नियम (11) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नामांकित सभी सदस्य
  - (च) अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित विशेष व्यक्ति
- टीपः—** उपरोक्त विभागों के प्रमुख सचिव के स्थान पर कार्यरत अपर मुख्य सचिव अथवा सचिव साधारण सभा के पदेन सदस्य रहेंगे।

**7. समिति की कार्यकारी समिति में निम्नानुसार पदाधिकारी रहेंगे :-**

- (क) कार्यकारी अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन मध्यप्रदेश शासन
- (ख) पदेन सदस्य—
  - (i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग मध्यप्रदेश शासन
  - (ii) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम
  - (iii) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहाकारी संघ
  - (iv) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) वन विभाग
  - (v) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार) वन विभाग
  - (vi) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश वन विभाग
  - (vii) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन) वन विभाग
  - (viii) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम
- (ग) सदस्य सचिव, मिशन संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन
- (घ) कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित अतिथि सदस्य

**8. बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड निम्नानुसार होगा :-**

- (क) राज्य शासन द्वारा नामांकित बोर्ड अध्यक्ष तथा अन्य कोई चार सदस्य
- (ख) सदस्य सचिव, मिशन संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन

**9. साधारण सभा के कर्तव्यः—** समिति नियम 4 में उल्लेखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये साधारण सभा के निम्न कर्तव्य रहेंगेः—

- (क) समिति को व्यापक मार्गदर्शन, दिशा निर्देश तथा प्रभावी मार्गदर्शन देना।
- (ख) मिशन के निष्पादित कार्यों की समीक्षा, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, स्वेच्छिक संगठनों तथा समिति के उद्देश्यों के प्रति समर्पित व्यक्तियों को प्रभावी रूप से समिति कार्यों में सम्मिलित करना तथा उन्हें आवश्यक वित्तीय मदद देना।
- (ग) समिति के वार्षिक बजट का अनुमोदन करना।
- (घ) समिति के वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन को अंगीकार करना।
10. **साधारण सभा के अधिकार:- समिति की साधारण सभा निम्न अधिकार संपन्न होगी:-**
- (क) समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक समस्त गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।
- (ख) समिति सदस्यों की संख्या को संशोधित करना।
- (ग) समिति के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिये समिति ज्ञापन, समिति नियमावली तथा उपनियमों को संशोधित करना, बदलना तथा नये नियम जोड़ना।
- (घ) उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भारत सरकार, राज्य सरकार के संस्थानों व विभागों तथा अन्य संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- (ङ) समिति के मामलों के संचालन के लिये प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य नियमों, विनियमों की संपुष्टि करना तथा समय समय पर उन्हें बदलना।
- (च) समिति के पदाधिकारियों, कार्यकारी समिति या समिति के किसी सदस्य को ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना जैसी उचित समझे।
- (छ) समिति के वार्षिक अंकेक्षण को अंगीकार करना तथा इसके वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
- (ज) कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तावित नियमों विनियमन का अनुमोदन करना।
14. **अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कार्य:-** समिति के अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कार्य निम्न होंगें:-
- (क) साधारण सभा की बैठक बुलाना।
- (ख) साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करना।
- (ग) साधारण सभा के सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करना।
- (घ) मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करना।
15. **समिति की साधारण सभा की कार्यवाही विवरण:-**
- (क) अध्यक्ष द्वारा तय तिथि, समय व स्थान के अनुसार साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी।
- (ख) जब तक समिति की नियमावली में अन्यथा उल्लेखित न हो साधारण सभा की सभी बैठकें सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से लिखित पत्र के माध्यम से बैठक से कम से कम दो सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को डाक से, या विशेष वाहक से सूचना देकर बुलाई जायेगी। विशेष परिस्थितियों में समिति अध्यक्ष सभी सदस्यों को सूचना देकर साधारण सभा की शीघ्र बैठक बुलाने के निर्देश दे सकता है।
- (ग) साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष द्वारा की जायेगी, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति के उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जायेगी।
- (घ) समिति की प्रत्येक साधारण सभा की बैठक का कोरम समिति सदस्यों की एक तिहाई संख्या की उपस्थिति से पूरा माना जायेगा। कोरम के अभाव में बर्खास्त की गई बैठक की दुबारा बुलाई गई बैठक में कोरम पूरा होना आवश्यक नहीं है।

16. **कार्यकारी समिति के कार्य :-**

- (क) समिति के नियम विनियम के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिम्मेदारी सुनिश्चित करना।
- (ख) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जमीनी स्तर पर नेतृत्व सुनिश्चित करने के साथ साथ लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

17. **कार्यकारी समिति की शक्तियाँ:-**

- (क) समिति को मार्गदर्शन तथा दिशा-निर्देश प्रदान करना।
- (ख) समिति के संपादित कार्यों की समीक्षा करना तथा उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- (ग) उद्देश्यों की निरन्तर प्राप्ति हेतु किसी व्यक्ति, निजी तथा सार्वजनिक संस्थानों से इकरार करने की अनुमति प्रदान करना।
- (घ) समिति के साथ अन्य संस्थाओं के आपसी समझौतों की सहमति के अनुसार दान, सहायता, अनुदान तथा अक्षय निधि स्वीकार्य सुनिश्चित करना परन्तु ऐसी सहायता अनुदान जिनकी शर्तें या अनुदान देने वाली संस्था समिति की नियमावली तथा उद्देश्यों के विपरीत है या सुसंगत नहीं है, स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
- (ङ) शासन या शासन के अन्य सार्वजनिक उपकरणों तथा निजी व्यक्तियों से क़य से, दान से अथवा अन्य विधि से चल, अचल या अन्य धनराशि जो किसी अनुसांगिक अहसानों तथा जुड़ावों से परे हो तथा जो समिति के उद्देश्यों तथा नियमावली के प्रावधानों से सुसंगत न हो को छोड़कर, प्राप्त करना या अर्जित करना।
- (च) समिति या मिशन के उपयोग हेतु आवश्यक भवनों का निर्माण कार्य करना या उन्हें ठेके पर देना तथा भण्डारगृह एवं अन्य सेवार्यें जो समिति के कार्यों को करने में आवश्यक हो को अर्जित करना। समिति की चल व अचल संपत्ति को बिक्री करना या पट्टे पर देना।
- (छ) समिति की ऐसी संपत्ति जो शासन के अनुदान से अर्जित की गई है शासन से अनुमति लेकर विक्रय करना, विल्लंगमित करना या जिस उपयोग हेतु अनुदान लेकर संपत्ति अर्जित की गयी थी उससे भिन्न उपयोग में लेना।
- (ज) मिशन के अनेकों गतिविधियों के लिये तदर्थ/स्थायी समितियाँ बनाना, उन्हें भंग करना, कार्यबलों, समूहों का गठन करना।
- (झ) समिति के कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्य सचिव या अन्य कोई सदस्य को या समिति/समूह या मिशन के व्यक्ति को ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना जो उचित हो तथा प्रत्यायोजित शक्तियों के उपयोग की सीमाएं तय करना।
- (ञ) समिति के नियम विनियम बनाना।

18. **कार्यकारी समिति का कार्यवाही विवरण:-**

- (क) कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की जायेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी समिति के बरिष्ठ सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।
- (ख) कार्यकारी समिति की किसी बैठक का कोरम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से पूरा माना जायेगा। एक बार कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की कुछ समय बाद दोबारा आयोजित की गई बैठक हेतु कोरम पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ग) कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक हेतु सूचना प्रत्येक सदस्य को सात दिवस पूर्व दिया जाना आवश्यक होगा इसके बाबजूद:
  - (i) कार्यकारी अध्यक्ष शीघ्र सूचना देकर आकस्मिक बैठक बुला सकेगा।
  - (ii) प्रत्येक बैठक के लिये सूचना दिये जाने वाले पत्र में जब तक समिति के नियमों में अन्यथा उल्लेखित न हो बैठक का स्थान, बैठक का समय व बैठक की तिथि का उल्लेख करते हुये सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा।

(iii) सूचना पत्र देने में हुई अवधान चूक के कारण या सदस्य द्वारा सूचना पत्र न लेने की स्थिति में आयोजित की गई बैठक या अन्य कोई बैठक की कार्यवाही विवरण अवैध नहीं मानी जायेगी।

(घ) कार्यकारी समिति की बैठक जैसी आवश्यकता है उतनी बार होगी परन्तु कम से कम एक वर्ष में दो बार अवश्य आयोजित की जायेगी।

19. **कार्यकारी अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कार्य:-** कार्यकारी अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कार्य निम्न रूप में होंगे:-

(क) समिति के क्रियाकलापों का कौशल पूर्वक तथा समिति के प्रावधानों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करना।

(ख) कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करना, खुद बैठक बुलाना अथवा सदस्य सचिव को कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने हेतु निर्देशित करना।

(ग) मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

(घ) कार्यकारी समिति की बैठक में किसी अतिथि को बैठक हेतु आमंत्रित करना।

(ङ.) सदस्य सचिव को कार्यकारी समिति की विशेष बैठक बुलाने हेतु निर्देशित करना।

20. **सदस्य सचिव की शक्तियाँ तथा कार्य:-** सदस्य सचिव समिति का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा तथा समिति की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों, धन की उपलब्धता तथा वित्तीय क्रियाकलापों के लिये जिम्मेदार होगा। सदस्य सचिव समिति की गतिविधियों का क्रियान्वयन करेगा। समिति के कार्यों का प्रभावी निर्वहन के लिये उसके पास निम्न शक्तियाँ रहेगी:-

(क) समिति की साधारण सभा, कार्यकारी समिति तथा अन्य समितियों की बैठकें आयोजित कराना तथा बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यवाही विवरण तैयार कर जारी करना एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(ख) साधारण सभा/कार्यकारी समिति या अन्य समिति द्वारा समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये दिये गये कार्यों जैसे कि उसे सौंपा जाये तदनुसार क्रियान्वित करना।

(ग) समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समूहों कार्यदलों का गठन करना।

(घ) समिति के नियमों के अनुसार स्त्रोत व्यक्ति या सलाहकारों की नियुक्ति करना।

(ङ.) समिति के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी तथा कार्य सौंपना।

(च) समिति के पदाधिकारियों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण, समन्वय तथा नियंत्रण करना।

21. **बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड के कार्य तथा कार्यप्रणाली :-**

(क) समिति के लिये बोर्ड एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा।

(ख) बोर्ड बांस शिल्पियों को बांस आपूर्ति, प्रशिक्षण तथा उनके कल्याण से संबंधित सिफारिशें करेगा।

(ग) बोर्ड अध्यक्ष बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बोर्ड की बैठक स्वयं बुला सकेगा या सदस्य सचिव को निर्देशित कर बैठक बुला सकेगा।

(घ) बोर्ड अध्यक्ष द्वारा तय की गई तिथि, समय तथा स्थान में बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी।

(ङ.) सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से बैठक की सूचना का पत्र जारी किया जायेगा। इस प्रकार बैठक बुलाने के लिये लिखित सूचना के तहत बैठक से दो सप्ताह पूर्व प्रत्येक सदस्य को विशेष वाहक अथवा डाक से सूचना भेजी जायेगी।

22. समिति के अन्तर्गत राज्य स्तरीय बांस संचालन समिति (एस.एल.बी.एस.सी.) होगी। कार्यकारी समिति एस. एल.बी.एस.सी. के समस्त प्रशासनिक तथा क्रियान्वयन से संबंधित कार्य एक कार्यकारी संस्था के रूप में देखेगी।

23.

**परियोजना क्रियान्वय इकाई:**

- (क) कार्यकारी समिति द्वारा समिति की परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्रीय वन मंडलों में गठित वन विकास अभिकरण द्वारा परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।
- (ख) ग्राम स्तर पर वन विभाग द्वारा गठित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों मिशन की गतिविधियों के क्रियान्वयनके लिये अग्रिम इकाईयाँ होगी। संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ आवश्यकतानुरूप अपनी ग्राम पंचायतों से परियोजना क्रियान्वयन में सहयोग ले सकेगी।

24.

**समिति कोष:-**

- (क) समिति कोष में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-
  - (i) भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान तथा / अथवा ऋण सहायता।
  - (ii) शासन की पूर्व अनुमति से किसी भी बाहरी संस्था से किसी रूप में दान, अनुदान, ऋण तथा सहायता से प्राप्त राशि।
  - (iii) अन्य स्त्रोंतों की भागीदारी से प्राप्त राशि।
  - (iv) समिति की संपत्तियों से प्राप्त आय।
- (ख) सभी राशियाँ समिति के बैंक खाते में जमा की जायेगी।
- (ग) समिति के वित्तीय नियमों के अनुसार समिति कोष से समस्त भुगतान किये जायेंगे।

25.

**लेखा एवं अंकेक्षण:-**

- (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत प्रावधानित समुचित लेखा बही को बनाये जाना सुनिश्चित करेगा तथा समिति का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन तैयार करायेगा।
- (ख) मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत चार्जर्ड एकाउन्टेंट से वार्षिक अंकेक्षण करायेगा।
- (ग) समय समय पर संशोधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत समिति का लेखा परीक्षण भी किया जायेगा।
- (घ) साधारण सभा के समक्ष अंकेक्षित लेखा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। साधारण सभा के अनुमोदन उपरान्त लेखा राज्य शासन को भेजा जायेगा।
- (ङ.) अंकेक्षण के पश्चात लेखा फर्म एवं सोसायटीज के पंजीयक को अधिनियम के अनुच्छेद 28 के अनुसार भेजा जायेगा।
- (च) मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत बनें नियमों के अनुसार जैसा कि पंजीयक फर्म एवं सोसायटीज द्वारा निर्धारित किया जाये समिति भारत शासन द्वारा प्रदायित अनुदान के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप समुचित लेखा तथा उससे संबंधित अन्य अभिलेखों को तैयार कर वार्षिक लेखा बनायेगी।

26.

**वार्षिक प्रतिवेदन:-**

समिति का वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तत्पश्चात साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत होगा। साधारण सभा द्वारा अनुमोदन उपरान्त वार्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

27.

**सदस्यता अवधि**

समिति के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की सदस्यता अवधि यदि राज्य शासन द्वारा इस बीच उन्हें सदस्यता से हटा नहीं दिया गया होगा, दो वर्ष रहेगी

28.

**सदस्यों का त्यागपत्र**

कोई भी गैर पदेन सदस्य समिति सदस्यता से अध्यक्ष को स्वहस्ताक्षरित त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष को प्राप्त त्यागपत्र को स्वीकार करने की अधिकारिता होगी।

29. **संशोधन**

- (क) साधारण सभा के आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में मतों के बहुमत से समिति नियमावली में संशोधन कर सकेगी। इस प्रकार साधारण सभा द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों को मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अनुच्छेद 10 में पंजीयन उपरान्त क्रियाशील हो जायेंगे।
- (ख) राज्य सरकार की अनुमति से समिति अपने उद्देश्यों जिसके लिये उसकी स्थापना हुई है, को बदल, घटा तथा बढ़ा सकेगी।
- (ग) समिति के नियमों में उल्लेखित मंत्री, विभाग या संस्थान तथा पद जब भी जैसे भी परिवर्तित होंगे वैसे ही समिति नियमों उसी प्रकार परिवर्तित होना माने जायेंगे।
- (घ) यदि समिति भंग करने की आवश्यकता है तो मध्यप्रदेश समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अध्याय 8 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत भंग की जायेगी।
- (ङ.) समिति के भंग अथवा परिसमापन करने की स्थिति में सभी ऋण तथा जिम्मेदारियों की संतुष्टि उपरान्त, कोई संपत्ति या अन्य कोई देय किसी भी समिति सदस्य को या किसी एक को वितरित या भुगतान न करते हुये राज्य शासन को उपार्जित होगी। राज्य शासन इसका समुचित उपयोग तय करेगा।

30. **विभाग:** राज्य शासन की ओर से वन विभाग मध्यप्रदेश शासन समिति का प्रशासनिक विभाग रहेगा जिसके द्वारा सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।

31. **नियम विनियम:** समिति के लिये बनाये जाने वाले नियम विनियमों में निम्नानुसार उपबन्ध होंगे:-

- (क) समिति के पदाधिकारियों से संबद्ध सेवा संबंधी विषय जिसमें पदों का निर्माण, शैक्षणिक योग्यताएं, चयन प्रक्रिया, सेवा शर्तें, वेतन, अनुशासन तथा नियंत्रण नियम इत्यादि।
- (ख) महत्वपूर्ण वित्तीय पहलू जिसमें बजट निर्माण की शक्तियाँ, क्रय प्रक्रिया, वित्तीय नियम, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, धनराशियों का निवेश लेखा अंकक्षणों का प्रतिपालन इत्यादि।
- (ग) अवैतनिक पदाधिकारियों जैसे बोर्ड अध्यक्ष, सदस्यों तथा आमंत्रितों के लिये मानदेय, परिलब्धियों, मकान किराया, बैठक व्यय इत्यादि।
- (घ) समिति के अन्य ऐसे आवश्यक विषय जो समुचित प्रशासनिक मामलों तथा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये हो सकते हैं यथा:
- (i) समिति की प्रबंधकीय संरचना में ऐसे कर्मचारियों जो राज्य शासन के लिये स्थायी जिम्मेदारी वन सकते हैं, की नियुक्ति नहीं की जायेगी।
- (ii) जब तक समिति के अपने नियम विनियम नहीं बन जाते हैं तब तक राज्य शासन के संबंधित नियम लागू होंगे।
- (iii) वित्तीय औचित्य तथा दूरदर्शिता को ध्यान में रखा जायेगा।

32. **प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन:-**

- (क) समिति के नियमावली में उल्लेखित नियम व शर्तों के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग किया जायेगा।
- (ख) राज्य शासन के विभाग प्रमुख की शक्तियाँ सदस्य सचिव को प्राप्त होगी तथा तदनुसार उनका उपयोग सदस्य सचिव करेगा।
- (ग) समिति के कनिष्ठ अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियाँ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उपयोग की जा सकेगी।

33. **राज्य शासन की प्रत्याभूति:**

यदि समिति जैसा वह चाहती है, के निवेदन पर राज्य शासन उस रीति से एवं ऐसी शर्तों के साथ जैसा वह उचित सोचती है, समिति के ऋण भुगतान के लिये प्रत्याभूति दे सकेगी।

34. **समिति का अतिष्ठान:-**

(क) अधिनियम की धारा 33 में वर्णित कारणों एवं प्रक्रिया के अनुसार समिति का अतिष्ठान किये जाने पर :-

- (i) समिति के समस्त अध्यक्ष व सदस्यों को प्रतिस्थापन अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से पद खाली करना होगा।
- (ii) वे सभी शक्तियाँ और कर्तव्य जो अधिनियम/नियमों/उपनियमों में दिये नियमों के अन्तर्गत समिति व उनके अध्यक्षों द्वारा या उनकी ओर से, क्रियान्वित थे एवं उपयोग में लायी जा रही थी, प्रतिस्थापन अवधि में राज्य शासन द्वारा निर्देशित प्राधिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा क्रियान्वित की जायेगी एवं उपयोग में लायी जायेगी।
- (iii) समिति में निहित सभी कोष एवं संपत्ति प्रतिस्थापन अवधि में खण्ड (2) में वर्णित प्राधिकरण अथवा व्यक्ति में निहित होगी, तथा
- (iv) समिति के विरुद्ध सभी जिम्मेदारी वैधानिक अस्तित्वयुक्त देय, खण्ड (2) में उल्लेखित प्राधिकरण अथवा व्यक्ति में वैष्टित कोष एवं संपत्ति की सीमा तक, उस प्राधिकरण अथवा व्यक्ति से देय होंगे।

(ख) उप नियम (क) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में अधिसूचित प्रतिस्थापन अवधि समाप्त होने पर राज्य शासन-

- (i) प्रतिस्थापन अवधि को एक ऐसी अवधि तक बढ़ा सकेगा जो आवश्यक हो या
- (ii) समिति का पुर्नगठन कर सकेगा।

35. **समिति का विघटन:-**

अधिनियम की धारा 34(1) के अधीन वर्णित कारणों एवं प्रक्रिया से समिति का विघटन होने पर या धारा 34 (2) के अधीन पंजीयन रद्द कर दिये जाने पर

- (i) समिति में निहित या शासन को देय सभी परिसंपत्तियाँ, राशि एवं देयक राज्य शासन में निहित होंगे एवं उसके द्वारा वसूली योग्य होंगे।
- (ii) समिति के विरुद्ध प्रवर्तनीय समस्त देय, उसमें निहित संपत्तियों, कोष, देयों तथा वसूली योग्य राशि की सीमा तक राज्य शासन के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे।

36. **विवाद:**

(क) समिति से संबंधित सभी विधिक मामलों का निपटारा भोपाल के न्यायालय में होगा।

(ख) समिति के नियमों/मुद्दों से संबंधित उत्पन्न सभी विवादों के लिये समिति का निर्णय अंतिम होगा।

37. **अन्य**

समिति पर मध्यप्रदेश समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।

1. म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन की केन्द्र प्रवर्तित योजना का म.प्र. में क्रियान्वयन किया जाता है। राष्ट्रीय बांस मिशन की योजना

[https://nbnm.nic.in/Documents/pdf/NBM\\_Revised\\_Guidelines.pdf](https://nbnm.nic.in/Documents/pdf/NBM_Revised_Guidelines.pdf) लिंक पर उपलब्ध है।

2. समस्त कार्यालयीन रिकॉर्ड राज्य बांस मिशन कार्यालय में उपलब्ध है।

3. म.प्र. राज्य बांस मिशन में कार्यरत अधिकारियों के फोन नंबर निम्नानुसार है:-

क्रं.	नाम	पद	संपर्क
1.	डॉ. यू. के. सुबुद्धि	मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मिशन डायरेक्टर, म.प्र. राज्य बांस मिशन	0755-2555524
2.	श्री हम्दुल्लाह खान	सहायक वन संरक्षक, म.प्र. राज्य बांस मिशन	0755-2555524

4. कण्डिका 4(1)(b) के अंतर्गत अतिरिक्त जानकारी-

1. **Information related to procurement:-** मिशन द्वारा कोई व्यापार नहीं किया जाता।
2. **Public-Private Partnership:-** मिशन की कोई प्रोजेक्ट PPP के अंतर्गत नहीं है।
3. **Transfer Policy and Transfer Order:-** मिशन की कोई शाखायें नहीं है। अतः कोई स्थानान्तरण नीति भी नहीं है।
4. **RTI Applications:-** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का रिकॉर्ड रखा जाता है।
5. **CAG and PAC Paras:-** कोई CAG पैरा नहीं है।
6. **Citizen Charter:-** मिशन बांस क्षेत्र में केन्द्र प्रवर्तित योजना का क्रियान्वयन वन मण्डलाधिकारियों के माध्यम से करता है। सभी कार्य राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा स्वीकृत बजट पर निर्भर करते हैं। इस कारण मिशन की कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है जिसे सिटीजन चार्टर में रखा जा सके।
7. **Discretionary and Non-Discretionary Grant:-** मिशन द्वारा दी जाने वाली कोई भी सब्सिडी मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मिशन संचालक के विवेक पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रीय बांस मिशन की योजनाओं के अनुरूप म.प्र. राज्य बांस मिशन की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक एवं वन मण्डलाधिकारी की अनुशंसा पर प्रोजेक्ट स्वीकृत की जाकर सब्सिडी का भुगतान वन मण्डलों के माध्यम से ही बैंकों को किया जाता है। मिशन मुख्यालय द्वारा आम जन को सीधे किसी अनुदान/सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाता है।